मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्र. 4564/MGNREGS-MP/NR-5/14 भोपाल, दिनांक 28/06/2014

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
जिला–समस्त मध्यप्रदेश।

विषयः– आई.ई.सी. प्लान वर्ष 2014–15 के क्रियान्वयन बाबत।

विषयांतर्गत 'मनरेगा अधिनियम अंतर्गत नवीन गाईड लाईन अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा तैयार किये गये एवं सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित आई.ई.सी.प्लान वर्ष 2014–15 का क्रियान्वयन 06 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की मद से ही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : 1. आई.ई.सी. प्लान वर्ष 2014–15 (04 पृष्ठ)
2. गाईड लाईन की छायाप्रति।

28.6.14

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ. क्र. 4565/MGNREGS-MP/NR-5/14 भोपाल, दिनांक 28/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) जिला पंचायत–समस्त मध्यप्रदेश कृपया मीडिया अधिकारियों/प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से पालन कराया जाना सुनिश्चित करते हुए प्रतिमाह 10 तारीख तक मुख्यालय रिपोर्ट करें।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

हक से मांगों काम मिलेगा, काम का पूरा दाम मिलेगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

आई.ई.सी प्लान

वर्ष 2014–2015

क्र.	संचार का माध्यम	अपेक्षित गतिविधियां	समयावधि (आवृत्ति)	कुल	उद्देश्य	लक्षित समूह	प्रचार प्रसार में सहयोगी अभिकरण	दायित्व	मॉनिटरिंग	अनुमानित व्यय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	• जागृति दल • लोक • गायन, • नुक्कड़ नाटक,	ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए स्थानीय व्यक्तियों के जगार (जागृति) दल का गठन। इस दल द्वारा स्थानीय बोली में स्वयं निर्मित लोकगान, नुक्कड़ नाटक, आदि के माध्यम से योजनाओं का प्रचार–प्रसार। • योजना का प्रचार • कार्य प्रारंभ होने की सूचना • ग्राम सभा की बैठक की तिथि • रोजगार दिवस के प्रारंभ होंने की सूचना • रोजगार एवं समस्या निवारण शिविर की सूचना			• योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार • हितग्राही एवं अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना। ताकि उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को उठाया जा सके।	• अकुशल श्रम करने के इच्छुक जॉबकार्डधारी परिवार • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार • लघु एवं सीमांत कृषक • इंदिरा आवास योजना के हितग्राही • भूमि सुधार के हितग्राही • ग्रामसभा के सदस्य	• भारत निर्माण वालिटियर्स • नेहरू युवा केन्द्र • जन अभियान परिषद	वरिष्ठ कार्यालय के मार्गदर्शन में जनपद पंचायतों द्वारा किया जाएगा	जनपद एवं जिला स्तर से मॉनिटरिंग की जाकर राज्य स्तर को रिपोर्टिंग	प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 500 रु.	इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं को सम्मिलित करते हुए व्यय को अन्य योजनाओं के साथ समायोजित किया जा सकता है।
2	पोस्टर : • सूचना परक • जानकारी परक	• विभिन्न प्रमुख स्थानों पर • ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय भवनों पर • विभिन्न कार्यक्रमों में लगाया जाना जहां ग्रामीणों की उपस्थिति अधिक हो • ग्रामीण क्षेत्रों के वाहनों पर चस्पा करना (अलग–अलग आकार के रंगीन एवं श्याम श्वेत)	जिलों की आवश्यता अनुसार	–	प्रत्येक स्टेक होल्डर को योजना से अवगत कराना	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाऐं	डिजाईनिंग पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुपालन राज्य सरकार द्वारा	भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य एवं जिला	एक करोड़ दो लाख रुपये (प्रत्येक जिले के लिए दो लाख)	
3	स्टीकर : • सूचना परक • जानकारी परक	• विभिन्न प्रमुख स्थानों पर • ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय भवनों पर • विभिन्न कार्यक्रमों में लगाया जाना जहां ग्रामीणों की उपस्थिति अधिक हो • ग्रामीण क्षेत्रों के वाहनों पर चस्पा करना (अलग–अलग आकार के रंगीन एवं श्याम श्वेत)	जिलों की आवश्यता अनुसार	–	प्रत्येक स्टेक होल्डर को योजना से अवगत कराना	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाऐं	डिजाईनिंग पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुपालन राज्य सरकार द्वारा	भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य एवं जिला	51 लाख रुपये (प्रत्येक जिले के लिए एक लाख)	
4	लीफलेट : • सूचना परक • जानकारी परक	• विभिन्न प्रमुख स्थानों पर • ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय भवनों पर • विभिन्न कार्यक्रमों में वितरित किया जाना जहां ग्रामीणों की उपस्थिति अधिक हो • ग्रामीण क्षेत्रों के वाहनों पर चस्पा करना (अलग–अलग आकार के रंगीन एवं श्याम श्वेत)	जिलों की आवश्यता अनुसार	–	प्रत्येक स्टेक होल्डर को योजना से अवगत कराना	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाऐं	डिजाईनिंग पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुपालन राज्य सरकार द्वारा	भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य एवं जिला	एक करोड़ 53 लाख रुपये (प्रत्येक जिले के लिए तीन लाख)	

क्र.	संचार का माध्यम	अपेक्षित गतिविधियां	समयावधि (आवृत्ति)	कुल	उद्देश्य	लक्षित समूह	प्रचार प्रसार में सहयोगी अभिकरण	दायित्व	मॉनिटरिंग	अनुमानित व्यय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	फिल्प चार्ट	• सूचना परक • जानकारी परक (अलग–अलग आकार के रंगीन)	–	–	बुलेट पाईन्ट में योजना की मुख्य विशेषताओं से ग्रामीणजनों को अवगत कराना साथ ही आंगनवाड़ी में होने वाली माताओं की मीटिंग में प्रदर्शन	जॉबकार्डधारी परिवारों की महिलायें	• भारत निर्माण वालि टियर्स • नेहरू यूवाकेन्द्र • जन अभियान परिषद	डिजाईनिंग पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुपालन राज्य सरकार द्वारा	भारत सरकार के निर्देशानुसा र राज्य एवं जिला स्तर	5 करोड़ 20 लाख रुपये (52 हजार गांव में दो–दो फिल्प चार्ट) प्रत्येक फ्लीप चार्ट 50 रु.	
6	आकाशवाणी	• सजीव फोन इन कार्यक्रम • वरिष्ठ अधिकारियों की वार्ताऐं • स्पाट रिकॉर्डिंग एवं प्रसारण	• माह में दो • माह मेंबारह • माह में पांच	• 24 • 144 • 60	• योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार • हितग्राही एवं अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना ताकि उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को उठाया जा सके।	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	–	राज्य स्तर एवं जिला स्तर	राज्य स्तर एवं जिला स्तर	• 14,40,000/– (प्रत्येक 60 हजार रुपये) • 86,40,000/– (प्रत्येक 60 हजार रुपये) • 36,00,000/– (प्रत्येक 60 हजार रुपये)	
7	दूरदर्शन	• सजीव फोन इन कार्यक्रम • वरिष्ठ अधिकारियों की वार्ताऐं	• माह में एक • माह में दो	• 12 • 24	———"———	———"———	–	राज्य स्तर एवं जिला स्तर	राज्य स्तर एवं जिला स्तर	• 42 लाख (प्रत्येक कार्यक्रम 03,50,000/–) • 84 लाख (प्रत्येक कार्यक्रम 03,50,000/–)	
8	फोटो वीडियों एवं फिल्म निर्माण	• जिलों में मनरेगा अंतर्गत विभिन्न श्रेणीयों में किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यो की विडियों फिल्मों एवं विडियों स्पॉट का निर्माण कराया जाना।	आवश्यकता नुसार	–	विभिन्न स्टेक होल्डर्स को योजना से अवगत कराने के साथ ही राज्य एवं भारत सरकार स्तर पर फिल्म प्रदर्शन	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	शासकीय एजेंसी	राज्य स्तर एवं भारत सरकार स्तर	राज्य स्तर एवं भारत सरकार स्तर	समग्र रूप से दो करोड़ रुपये	
9	विडियो शो	• योजना से संबंधित वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन • रिकार्डेड रेडियों कार्यक्रमों का ध्वनि प्रसारण • विशेष संदेशों का प्रसारण।	माह में दो कार्यक्रम अनिवार्य (विकास खण्ड स्तर पर)	7512 कार्यक्रम (313x24)	• हॉट बाजार, मेले, • लोक उत्सव इत्यादि अवसर पर • आवागमन के केन्द्र आदि भीड़ भरे स्थान • प्रचार–प्रसार वाहन का उपयोग • ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये गये टी.वी.सेट का उपयोग	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	–	प्रोडक्शन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र.	भारत सरकार के निर्देशानुसा र राज्य एवं जिला स्तर	03,75,60,000 रुपये प्रदर्शन हेतु तीन करोड़ 75 लाख 60 हजार रुपये (प्रति कार्यक्रम न्यूनतम 5 हजार) राज्य एवं जिला स्तर पर होने वाले उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित विडियो फिल्म निर्माण हेतु पृथक से दो करोड़ रु. मात्र	

क्र.	संचार का माध्यम	अपेक्षित गतिविधियां	समयावधि (आवृत्ति)	कुल	उद्देश्य	लक्षित समूह	प्रचार प्रसार में सहयोगी अभिकरण	दायित्व	मॉनिटरिंग	अनुमानित व्यय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	दीवार लेखन	• चिन्हित शासकीय भवनों पर योजना के मुख्य संदेश अंकित करना।	समय–समय पर आवश्यकता अनुसार (प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 05स्थानोंपर)	–	प्रत्येक स्टेक होल्डर को योजना से अवगत कराना	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	–	डिजाईनिंग पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुपालन राज्य सरकार द्वारा	भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य एवं जिला स्तर	06 करोड़ 26 लाख रुपये (प्रति जनपद पंचायत 02 लाख रुपये)	
11	होर्डिंग्स	योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए	(20x10) वर्ग फिट आकार का एक वर्ष की अवधि के लिए	313 (प्रत्येक जनपद पंचायत में एक)	प्रत्येक स्टेक होल्डर को योजना से अवगत कराना	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	शासकीय विभाग	डिजाईनिंग पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र.	भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य एवं जिला स्तर	दो करोड़ 50 लाख 40 हजार (प्रत्येक की लागत 80 हजार रु.)	
12	सोशल मीडिया	निरन्तर अद्यतन करना : • वेबसाईट • फेसबुक • यू ट्यूब • एसएमएस–मनरेगा संचार • ई मैग्जीन–आओ चले गांव की ओर	नियमित रूप से प्रतिमाह (जनवरी 2014 से)	योजना से संबंधित इंटरनेट यूजर्स	योजना से संबंधित नवीनतम जानकारियों से अवगत कराना	योजना से संबंधित इंटरनेट यूजर्स एवं अन्य	–	राज्य एवं जिला	राज्य एवं जिला	–	ई–मैग्जीन के प्रिंट आउट ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये गये प्रिंटर से निकाले जाकर ग्राम पंचायत की दीवार पर चस्पा किये जाएंगे।
13	क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम	• योजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए • समय–समय पर विभिन्न परिवर्तनों • नवीनतम जानकारियों से मनरेगा अधिकारी/कर्मचारियों एवं जन प्रतिनिधियों को अवगत कराना	–	–	योजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए समय–समय पर विभिन्न परिवर्तनों एवं नवीनतम जानकारियों से मनरेगा अधिकारी/कर्मचारियों एवं जन प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन।	–	–	राज्य स्तर, जिला स्तर और जनपद स्तर	–	–	–
14	प्रेस रीलिज	प्रेसनोट जारी करना	निर्देशानुसार	–	योजनांतर्गत संचालित गतिविधियों से अवगत कराना	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	–	राज्य एवं जिला स्तर	राज्य एवं जिला स्तर	–	–
15	सूचना पटल	• योजना का प्रचार • कार्य प्रारंभ होने की सूचना • ग्राम सभा की बैठक की तिथि • रोजगार दिवस प्रारंभ होंने की सूचना • रोजगार एवं समस्या निवारण शिविर की सूचना	प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच	01 लाख 15 हजार	हितग्राहियों तक संदेश को पहुंचाना	विभिन्न स्टेक होल्डर्स	–	जनपद एवं ग्राम पंचायत	जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत	03 करोड़ 45 लाख (प्रति बोर्ड 1500 रु)	

क्र.	संचार का माध्यम	अपेक्षित गतिविधियां	समयावधि (आवृत्ति)	कुल	उद्देश्य	लक्षित समूह	प्रचार प्रसार में सहयोगी अभिकरण	दायित्व	मॉनिटरिंग	अनुमानित व्यय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	रोजगार दिवस का आयोजन	• इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का वृहद स्तर पर प्रयोग • ग्राम पंचायत स्तर पर दीवार लेखन • मुनादी, नुक्कड़ नाटक एवं डाक्यूमैंट्री फिल्मों का प्रदर्शन • मनरेगा कर्मियों द्वारा स्व सहायता समूह के सदस्यों एवं भारत निर्माण कर्मियों के सहयोग से प्रचार–प्रसार	माह में एक बार जिला एवं जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से	–	• पंजीकृत श्रमिक, ग्रामीणजन जो जॉबकार्डधारी नहीं है। • निर्वाचित पंचायत सदस्य • मनरेगा कर्मी • कार्यान्वयन संस्था के प्रतिनिधि • बैंक, पोस्ट ऑफिस इत्यादि	अकुशल श्रम करने के इच्छुक जाबकार्डधारी परिवार	• मनरेगा कर्मी • स्व सहायता समूह • भारत निर्माण कर्मी	जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत	जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत	–	–

(क्रांतिदीप अलूने)
मीडिया अधिकारी
म.प्र.रा.रो.गा.परि.भोपाल

सत्यमेव जयते

महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
(महात्मा गांधी नरेगा)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पुस्तकालय
1213
2013
भोपाल

दिशा–निर्देश
2013

चौथा संस्करण

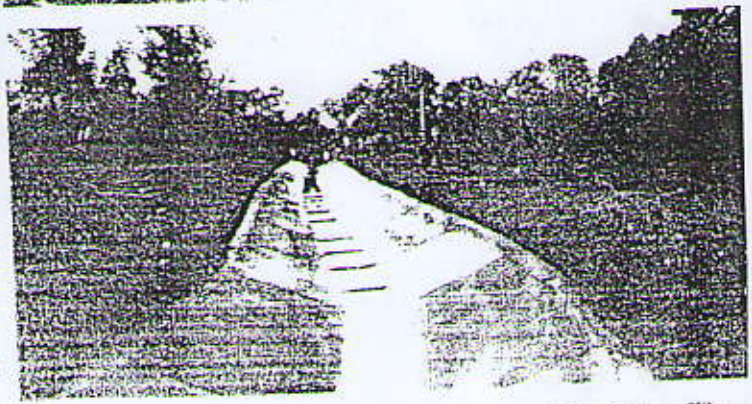

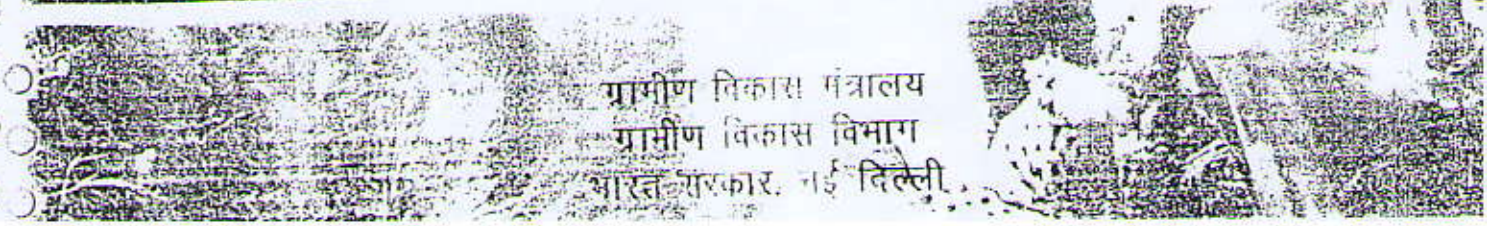

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार, नई दिल्ली

5.4 महात्मा गांधी नरेगा के विषय जागरुकता फैलाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) कार्यकलाप

महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन की अहम पूर्वापेक्षा यह है कि ग्रामीणों और विशेषकर महात्मा गांधी नरेगा कामगारों सहित अन्य स्टेकहोल्डरों में इस योजना के प्रावधानों तथा उनके अधिकारों एवं पात्रताओं के संबंध में जागरुकता फैलाई जाए। आई.ई.सी. कार्यकलापों का उद्देश्य इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिकारों के बारे में जानकारी फैलाना होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कामगार मजदूरी रोजगार की मांग करने का अपना अधिकार जानें और अपनी जरूरत के अनुसार कार्यों के लिए आवेदन करके अपने इस अधिकार का प्रयोग करें।

5.4.1 संचार की जरूरत

महात्मा गांधी नरेगा की बुनियादी जरूरतें सामान्यत हैं, हालांकि इनमें स्थान एवं राज्य विशेष की जरूरतों के अनुरूप परिवर्तन करने की जरूरत होगी। महात्मा गांधी नरेगा की आईईसी कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामगार मजदूरी रोजगार की मांग करने का अपना अधिकार जानें और अपनी जरूरत के अनुसार कार्यों के लिए आवेदन करके वे अपने व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग करें। लेकिन महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार की मांग कई बाहरी और आंतरिक कारणों से प्रभावित होती है, जोकि इस प्रकार हैं–

i) योजना के विषय में व्यापक जानकारी की कमी।

ii) कार्य के लिए आवेदन करकें अपने अधिकार का उपयोग कैसे करें, इस जानकारी की कमी।

iii) नगरों/उप–नगरों से संपर्क

iv) मजदूरी दरों के बीच अंतर

v) ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिला स्तर पर बुनियादी संरचना और क्षमता की कमी।

vi) मजदूरी के भुगतान में देरी।

vii) ग्राम पंचायत इत्यादि को निधि की रिलीज में देरी

viii) प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता।

ix) शहरी क्षेत्रों से नजदीकी

x) कार्यक्रम की कम मौजूदगी

xi) इस जानकारी की कमी कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कौन से कार्य किए जा सकते हैं।

इनमें से किसी एक या किन्हीं भी कमियों को समझकर राज्य अपने क्षेत्र में प्रमुख संदेशों को प्राथमिकता देने और तदनुसार सृजनात्मक संदेश तैयार करने के कार्य शुरू कर सकते हैं।

5.4.2 विशेष कार्रवाइयां

i) सभी राज्यों को पंजीकृत कामगारों और उन अन्य वर्गों तक पहुंचने पर ध्यान देते हुए, जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा से लाभ मिल सकते हैं, आईईसी योजना तैयार करनी चाहिए। आईईसी योजना में स्पष्ट रूप से राज्य, जिला, ब्लॉक और स्थानीय स्तर के कार्यकलाप दर्शाए जाने चाहिए। आईईसी योजना तैयार करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं, ताकि प्रत्येक कार्यकलाप के लिए समय–सीमाएं, लक्षित समूह और प्रमुख संदेश स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जा सकें।

चुनिंदा संदेशों का प्रचार–प्रसार करने के लिए अंतर वैकल्पिक संचार के तरीकों, प्रिंट मीडिया और मॉडल मीडिया का सृजनात्मक मिश्रण तैयार किए जाने की जरूरत है। राज्य लोक संपर्क विभाग और राज्य एवं केन्द्र सरकारों के कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे विभिन्न विभागों के प्रचार एवं विस्तार एककों को प्रमुख संदेशों के अधिकतम प्रचार–प्रसार के लिए आयोजना और कार्यान्वयन के कारणों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों, बीपीएल परिवारों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य अत्यंत वंचित वर्गों के लिए विशेष कार्यनीतियां शुरू की जानी चाहिए ताकि मनरेगा कार्यों में उनकी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पत्र सूचना कार्यालय, डीएवीपी, क्षेत्रीय प्रचार ब्यूरो, गीत एवं नाटक प्रभाग इत्यादि के राज्य एककों से सम्पर्क करके इन संदेशों के व्यापक प्रसार में इन एककों की सेवाएं ली जा सकती है।

ii) सिविल सोसायटी संगठन अधिकारों और हकदारियों के बारे में जागरुकता पैदा करने के साथ–साथ कामगारों को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन सीएसओ को आईईसी क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने तथा सुदृढ़ करने के लिए लगाया जा सकता है ताकि अंततः मजदूरी मांगने वालों द्वारा अपने अधिकारों, हकदारियों, काम की मांग को सुरक्षित रखा जाना तथा समय पर मजदूरी भुगतान की मांग किया जाना सुनिश्चित हो सके। (सीएसओ का चयन राज्य के मानदण्डों के अनुसार होगा)।

iii) सभी राज्य सरकारें जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों हेतु महात्मा गांधी नरेगा के प्रमुख संदेशों और प्रमुख प्रावधानों को प्रचारित करने हेतु विभिन्न मीडिया माध्यमों का प्रयोग करके गहन और नियमित आईईसी अभियान चलाएंगी। विस्थापन प्रभावित क्षेत्रों में पहले से और विस्थापन के महीनों के दौरान और अधिक गहन अभियान चलाए जाएंगे। भ्रम से बचने और स्पष्ट समझ सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतर्वैयक्तिक संचार पद्धतियों सहित सभी मीडिया में प्रमुख संदेशों को मानक रूप दिया जाए।

iv) अध्ययनों से यह दृष्टिगोचर होता है कि जमीनी स्तर के समुदायों में जागरुकता पैदा करने तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जन प्रचार माध्यम और मध्यवर्ती मीडिया पद्धतियों की तुलना में अंतर्वैयक्तिक संचार पद्धतियां ज्यादा असरदार पद्धति हैं। आईईसी क्रियाकलापों की योजना बनाते समय, राज्य डीपीसी पद्धतियों के साथ–साथ और कार्यकलापों को निर्धारित कर सकता है।

v) ग्रामीण क्षेत्रों में संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए लागत प्रभावी मीडिया पहलों जैसे कठपुतली नाच, लोक नृत्य और गीत, नुक्कड़ नाटक, विषय विशिष्ट सामूहिक परिचर्चा, सहभागी खेल, दीवार पर लिखावटें, पोस्टर, नोटिस बोर्ड इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है।

vi) अभियानों में युवाओं को शामिल करने की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर हमारे अभियानों के लिए भारत निर्माण स्वयं सेवक प्रेरक हो सकते हैं। (महात्मा गांधी नरेगा क्रियाकलापों के लिए बीएनवी को शामिल करने के लिए भीलवाड़ा मॉडल पर एक आलेख मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

vii) प्रत्येक लक्षित समूह की संचार आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए सभी प्रयास किए जाने हैं। परंतु प्रमुख ध्यान कामगारों, जन प्रतिनिधियों, पंचायत स्तर के अधिकारियों, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, जिला स्तर के अधिकारियों और जनमत नेता और मीडिया कर्मियों जैसे गौण स्टेकधारकों पर होना चाहिए।

viii) राज्य सरकारें मनरेगा के कार्यान्वयन से संबंधित बेहतर पद्धतियों की सूची तैयार कर सकती हैं और व्यापक प्रचार के लिए वेबसाइट पर डालने तथा ऐसी सफल पहलों को दोहराने के लिए प्रणाली में आवश्यक बदलाव लाने के लिए अनुपालन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझा कर सकती है।

5.5 संचार के विभिन्न तरीकें

i) केवल कार्य के विवरण पर विचार के लिए अपितु कामगारों की हकदारियों और कार्यों के अनुमानित लाभों के बारे में स्पष्ट रूप से बताने के लिए भी **परियोजनागत शुरूआती बैठकें** अवश्य होनी चाहिए। जबकि गहन संचार अधिनियम की शुरूआत से पहले होना चाहिए, कार्यान्वयन प्रक्रिया भी संचार का अभिन्न हिस्सा है जिसका उद्देश्य इस कानून को 'जन अधिनियम' बनाना है। संचार प्रक्रिया की प्रभाविकता इस अधिनियम के अंतर्गत काम मांगने और काम के लिए आवेदन मांगने वाले व्यक्तियों तक है। सफल संचार के अन्य संकेतों में प्रत्येक स्तर पर स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी, त्वरित शिकायत निपटान, ग्राम सभाओं द्वारा त्वरित सामाजिक लेखा परीक्षा और संचार के अधिकार का व्यापक उपयोग है।

ii) विभिन्न लक्षित समूहों के साथ संचार हेतु **हेल्पलाइनों और ग्रामीण साझा सेवा केन्द्रों का उपयोग** किया जा सकता है।

iii) *वॉल पेंटिंग:* लोगों में जागरुकता पैदा करने की सबसे प्रभावी और लोकप्रिय पद्धतियों में से वॉल पेंटिंग एक है जिसे मनरेगा से संबंधित जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य ज्ञान द्वारा आमतौर पर जाए जाने वाले सभी पंचायती और अन्य कार्यालयों में मनरेगा योजना का ब्यौरा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए आंगनबाड़ी, स्कूल, उचित मूल्य की दुकानों का भी उपयोग किया जा सकता है। जब कभी राष्ट्रीय स्तर के अभियान चलाए जाएंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों के साथ वॉल पेंटिंग की टेम्पलेटों को साझा करेंगे।

iv) *घर–घर जाकर सम्पर्क कार्यक्रम:* घर–घर जाकर सम्पर्क अभियान के माध्यम से सामाजिक जुटाव और जागरुकता पैदा की जानी चाहिए।

v) *स्कूल और कॉलेज:* स्कूल और कॉलेजों को लक्षित करके किए गए मनरेगा पर बातचीत सत्र और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं जैसे कार्यकलाप उपयोगी होंगे।

vi) *ग्रामीण पुस्तकालय:* मनरेगा दिशानिर्देशों, स्थानीय श्रम बजट और निष्पादन आंकड़ों की प्रतियां समय–समय पर पुस्तकालय में प्रदान की जानी चाहिए।

vii) *भारत निर्माण स्वयंसेवकों और नेहरू युवा केन्द्रों को लगाना:* ग्राम सभाओं और पंचायत राज संस्थाओं को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकारें जागरुकता पैदा करने और लोगों से सम्पर्क करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र और भारत निर्माण स्वयंसेवकों को लगा सकती हैं।

viii) *स्वयं सहायता समूहों को लगाना:* एसएचजी के सदस्यों, जिनमें से ज्यादातर स्वयं मनरेगा लाभार्थी हो सकते हैं को कामगारों को प्रेरित करने तथा उनके अधिकारों और हकदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए लगाया जा सकता है।